

भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5545 जिसका उत्तर
शुक्रवार, 4 अप्रैल, 2025/ 14 चैत्र, 1947 (शक) को दिया जाना है

पीएम 'गति शक्ति' राष्ट्रीय मास्टर प्लान

† 5545. श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी:

श्री राजेशभाई नारणभाई चुडासमा:

क्या पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) प्रधानमंत्री 'गति शक्ति' योजना के अंतर्गत संपर्क परियोजनाओं का राज्यवार व्यौरा क्या है;
- (ख) उक्त योजना के अंतर्गत जलमार्गों के लिए राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित की गई है;
- (ग) जलमार्ग परियोजना को पूरा करने में कितना समय लगने का प्रस्ताव है;
- (घ) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश राज्य में प्रधानमंत्री 'गति शक्ति' राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अंतर्गत 5,800 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली 13 परियोजनाएं शुरू की गई हैं;
- (ङ) यदि हां, तो उक्त प्रत्येक परियोजना का स्थान, उद्देश्य, लागत सहित व्यौरा क्या है और उक्त परियोजना के परियोजनावार कब तक पूरा होने की संभावना है; और
- (च) क्या वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में राज्यों को अतिरिक्त पूंजीगत सहायता प्रदान की है और यदि हां, तो आन्ध्र प्रदेश को दी गई सहायता का व्यौरा क्या है?

उत्तर
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्वानंद सोणोवाल)

(क): प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अंतर्गत पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्ल्यू) की कुल 101 परियोजनाएं हैं। ये सभी केवल पत्तन और जलमार्ग विकास से संबंधित अवसंरचनागत परियोजनाएं हैं। 101 परियोजनाओं का राज्य-वार व्यौरा संलग्न है। [अनुबंध-I]

(ख) और (ग): पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की 101 परियोजनाओं में से 5 परियोजनाओं का संबंध जलमार्ग विकास से है। इन परियोजनाओं का व्यौरा संलग्न है। [अनुबंध-II]। भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास के लिए शुरू की गई परियोजनाओं का व्यौरा संलग्न है। [अनुबंध-III]।

(घ) और (ङ): प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की आंध्र प्रदेश राज्य में लगभग 7101.68 करोड़ रुपये की कुल 13 परियोजनाएं हैं। ये परियोजनाएं आंध्र प्रदेश समुद्री बोर्ड और विशाखापट्टनम पत्तन प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं। इन 13 परियोजनाओं का व्यौरा संलग्न है। [अनुबंध-IV]

(च): वित्त मंत्रालय ने सूचित किया है कि उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) की सिफारिशों के आधार पर, वित्त मंत्रालय द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य सरकार को "2022-23 के लिए पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना" के तहत 202.00 करोड़ रुपये की राशि अनुमोदित और जारी की गई थी, जिसका विवरण संलग्न है [अनुबंध -V]

पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की परियोजनाओं की राज्यवार संख्या:

| राज्य | परियोजनाओं की सं. |
|--------------|-------------------|
| आंध्रप्रदेश | 13 |
| गुजरात | 19 |
| कर्नाटक | 10 |
| केरल | 3 |
| महाराष्ट्र | 13 |
| ओडिशा | 7 |
| तमिलनाडु | 12 |
| पश्चिमबंगाल | 6 |
| बिहार | 2 |
| गोवा | 12 |
| पांडिचेरी | 2 |
| उत्तर प्रदेश | 2 |

पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत जलमार्ग परियोजनाः

| क्र. सं. | परियोजना का नाम | लागत (करोड़ रु.) | कार्यान्वयन एजेंसी | राज्य |
|----------|---|---------------------|--------------------|--------------|
| 1 | वाराणसी में मल्टी-मॉडल टर्मिनल | 186.61 | आईडब्ल्यूएआई | उत्तर प्रदेश |
| 2 | साहिबगंज में मल्टी-मॉडल टर्मिनल | 278.56 | आईडब्ल्यूएआई | बिहार |
| 3 | हल्दिया में मल्टी-मॉडल टर्मिनल | 503.16 | आईडब्ल्यूएआई | पश्चिम बंगाल |
| 4 | वाराणसी में फ्रेट विलेज की स्थापना | 165 | आईडब्ल्यूएआई | उत्तर प्रदेश |
| 5 | ओद्योगिक क्लस्टर सह लॉजिस्टिक पार्क, साहिबगंज | 72 | आईडब्ल्यूएआई | बिहार |

विगत पांच वित्तीय वर्षों के दौरान राष्ट्रीय जलमार्गों से संबंधित परियोजनाओं का संस्वीकृत/आवंटित निधियों सहित व्यौरा:

(करोड़ रु. में)

| क्र. सं. | राज्यों में परियोजना का नाम | संस्वीकृत लागत |
|----------|---|----------------|
| क | जारी संस्वीकृत रा. ज. परियोजनाएं - | |
| 1 | उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (गंगा-भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली) पर वाराणसी-हल्दिया जलखंड से जलमार्ग विकास परियोजना (जेएमवीपी-I और II) | 5061. 15 |
| 2 | असम में राष्ट्रीय जलमार्ग-2 (बांग्लादेश सीमा- ध्रुवरी से सदिया तक ब्रह्मपुत्र नदी) का व्यापक विकास | 474.00 |
| 3 | असम में राष्ट्रीय जलमार्ग-16 (लखीपुर से तुकर ग्राम तक बराक नदी) और असम में भारत-बांग्लादेश मार्ग के भारतीय हिस्से का व्यापक विकास | 148.00 |
| ख. | 3 वर्षों से संस्वीकृत राष्ट्रीय जलमार्ग परियोजनाएं | |
| 4 | राष्ट्रीय जलमार्ग-2 पर पांडु पोर्ट टर्मिनल से राष्ट्रीय राजमार्ग27 तक पहुंच मार्ग का विकास | 180.00 |
| 5 | राष्ट्रीय जलमार्ग-2 पर पांडु, गुवाहाटी (असम) में पोत मरम्मत सुविधा का विकास | 208.00 |
| 6 | 23 राष्ट्रीय जलमार्गों (चरण 1) (** 3 मौजूदा और 13 नए रा.ज.) का विकास- केरल, आंध्रप्रदेश, ओडिशा, गोवा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और असम राज्यों में 20 राष्ट्रीय जलमार्गों (रा.ज.-3, 4, 5 और 17 नए रा.ज.) का विकास | 266.09 |
| (i) | रा.ज.- 3- केरल में वेस्ट कोस्ट नहर (कोट्टापुरम- कोल्लम), चंपकारा और उद्योगमंडल नहरें | |
| (ii) | रा. ज.-4- आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी (विजयवाड़ा - मुक्तयाला) का हिस्सा | |
| (iii) | रा. ज. - 5 – ओडिशा में मंगलागढ़ी से होते हुए धामरा-पारादीप से ब्राह्मणी नदी के पंकोपाल तक | |
| (iv) | रा. ज.- 8- केरल में अलाप्पुङ्गा- चंगनासेरी नहर | |
| (v) | रा. ज.- 9- केरल में अलाप्पुङ्गा- अथिरामप्पुङ्गा नहर | |
| (vi) | रा. ज.- 27- कंबरजुआ नदी, गोवा | |
| (vii) | रा. ज.- 68- गोवा में मांडोवी नदी | |
| (viii) | रा. ज.-111- गोवा में जुआरी नदी | |
| (ix) | रा. ज.- 86- पश्चिम बंगाल में रूपनारायण नदी | |

| | | |
|---------|---|---------|
| (x) | रा. ज.- 97- पश्चिम बंगाल में सुंदरबन जलमार्ग | |
| (xi) | रा. ज.- 40- उत्तर प्रदेश और बिहार में धाघरा नदी। | |
| (xii) | रा. ज.- 44- पश्चिम बंगाल में इच्छामती नदी | |
| (xiii) | रा. ज.-10- महाराष्ट्र में अम्बा नदी | |
| (xiv) | रा. ज.- 28- महाराष्ट्र में दाभोल क्रीक वशिष्ठी नदी | |
| (xv) | रा. ज.- 57- असम में कोपिली नदी | |
| (xvi) | रा. ज.- 31- असम में धनसिरी नदी | |
| (xvii) | रा. ज.- 73- गुजरात में नर्मदा नदी में पोंटून | |
| (xviii) | रा.ज.- 73 (नर्मदा) और रा.ज.- 100 (तापी) – गुजरात रा.ज. में ईआईए/ ईएमपी अध्ययन | |
| (xix) | रा. ज.-110 (यमुना)- मथुरा में पोंटून | |
| (xx) | रा. ज.- 37 (गंडक)- बिहार में बत्तिया में पोंटून | |
| | कुल | 6337.24 |

| क्रम सं. | परियोजना का नाम | लागत (करोड़ रु. में) | पत्तन का नाम | अवस्थिति | परियोजना की स्थिति | भौतिक प्रगति | परियोजना का उद्देश्य |
|----------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|---|
| 1 | रामायपट्टनम पत्तन प्रकाशम जिला, आंध्र प्रदेश का विकास, | 4929.3 | रामायपट्टनम पत्तन | रामायपट्टनम पत्तन | कार्यान्वयनाधीन | 52.95 % | इस पत्तन का निर्माण चरण-1 (2024-25) में 34.04 एमएमटीपीए के संभावित यातायात को हैंडल करने के लिए किया जा रहा है, ताकि इस क्षेत्र में एकिज्म व्यापार और तेजी से औद्योगिकीकरण में सुविधा हो। |
| 2 | लिक्विड जेट्री | 236 | कृष्णापट्टनम पत्तन | कृष्णापट्टनम पत्तन | पूर्ण | 100% | लिक्विड जेट्री का निर्माण 6 एमएमटीपीए (मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष) लिक्विड कार्गो को हैंडल करने के लिए किया गया है। |
| 3 | बर्थ 6 यांत्रिकीकरण | 125.4 | कृष्णापट्टनम पत्तन | कृष्णापट्टनम पत्तन | पूर्ण | 100% | बर्थ 6 पर कार्गो की यांत्रिकृत हैंडलिंग के लिए बर्थ का यांत्रिकीकरण किया गया। |
| 4 | वेस्ट बर्थ एक्सटेंशन | 90 | कृष्णापट्टनम पत्तन | कृष्णापट्टनम पत्तन | विकासाधीन | 0 | क्षमता संवर्धन |
| 5 | पश्चिमी बर्थ यांत्रिकीकरण | 200 | कृष्णापट्टनम पत्तन | कृष्णापट्टनम पत्तन | विकासाधीन | 0 | क्षमता संवर्धन |

| | | | | | | | |
|----|---|--------|------------------------------|--------------------|-----------------|----------|---|
| 6 | वैगन लोडिंग स्टेशन का चरण-II | 20 | कृष्णापट्टनम पत्तन | कृष्णापट्टनम पत्तन | विकासा धीन | 0 | क्षमता संवर्धन |
| 7 | विशाखापट्टनम में नए वर्थ ईक्यू-ए का विकास (शेष सिविल कार्य) | 22.35 | विशाखापट्टनम पत्तन प्राधिकरण | विशाखापट्टनम पत्तन | पूर्ण | 100% | पत्तन का क्षमता संवर्धन |
| 8 | डीबीएफओटी आधार पर वीपीटी पर मौजूदा कंटेनर टर्मिनल का विस्तार | 633.11 | विशाखापट्टनम पत्तन प्राधिकरण | विशाखापट्टनम पत्तन | पूर्ण | 100% | क्षमता को 0.54 टीईयू से बढ़ाकर 0.99 टीईयू तक करना |
| 9 | आंतरिक हार्बर में डब्ल्यूक्यू-7 और डब्ल्यूक्यू-8 वर्थों का यांत्रिकीकरण | 288.47 | विशाखापट्टनम पत्तन प्राधिकरण | विशाखापट्टनम पत्तन | विकासा धीन | 0 | उन्नत निष्पादन सहित पत्तन कार्गो हैंडलिंग क्षमता में वृद्धि। |
| 10 | आंतरिक पत्तन में ईक्यू-7 वर्थ का यांत्रिकीकरण | 201 | विशाखापट्टनम पत्तन प्राधिकरण | विशाखापट्टनम पत्तन | विकासा धीन | 0 | उन्नत निष्पादन सहित पत्तन कार्गो हैंडलिंग क्षमता में वृद्धि। |
| 11 | विशाखापट्टनम में ओआर 1 और ओआर 2 के साथ अतिरिक्त तेल जेट्टी- ओआर 3 | 167.66 | विशाखापट्टनम पत्तन प्राधिकरण | विशाखापट्टनम पत्तन | कार्यान्वयनाधीन | 84.74 % | इसका उद्देश्य 85,000 डीडब्ल्यूटी जलयानों के साथ पैनामैक्स जलयानों को हैंडल करना है। |
| 12 | क) क्रूज वर्थ का निर्माण ख) क्रूज टर्मिनल का निर्माण | 72.26 | विशाखापट्टनम पत्तन प्राधिकरण | विशाखापट्टनम पत्तन | पूर्ण | 100.0 0% | इस क्षेत्र की पर्यटन क्षमता को बढ़ाना और स्थानीय लोगों के लिए अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन करना। |
| 13 | ढके हुए भंडारण शेडों का निर्माण | 116.04 | विशाखापट्टनम पत्तन प्राधिकरण | विशाखापट्टनम पत्तन | पूर्ण | 100.0 0% | कार्गो हैंडलिंग प्रचालन के दौरान पर्यावरण अनुकूल वातावरण बनाने के लिए |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | पर्यावरण स्वच्छता में सुधार करना तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और एनजीटी की कानूनी अपेक्षाओं को पूरा करना। |
|--|--|--|--|--|--|--|---|

व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा 2022-23 के लिए राज्यों को पूंजी निवेश हेतु विशेष सहायता योजना के भाग-II (पीएम गतिशक्ति से संबंधित व्यय) के अंतर्गत आंध्र प्रदेश राज्य को जारी किए गए पूंजीगत व्यय का विवरण:

(करोड़ रुपए में)

| क्रम सं. | परियोजना का नाम | स्थान | अनुमानित परियोजना लागत | व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित पूंजीगत व्यय | व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया गया पूंजीगत व्यय |
|----------|--|----------------------------|------------------------|---|--|
| 1 | चरण- 1 से 46 जगनन्ना मेंगा औद्योगिक हब (जेएमआईएच) को एमएलडी बाह्य जल आपूर्ति | कोपार्थी वाईएसआर कडपा जिला | 171.00 | 171.00 | 171.00 |
| 2 | वाईएसआर जेएमआईएच, कोपार्थी, कडपा तक रेलवे साइडिंग | कोपार्थी वाईएसआर कडपा जिला | 54.00 | 31.00 | 31.00 |
| कुल | | | 225.00 | 202.00 | 202.00 |
